आतंक के खिलाफ लड़ाई संकट में

लेखक- सुहासिनी हैदर (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

द हिन्दू

13 मई, 2019

"दुनिया को आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट होना होगा और आतंक के खिलाफ लड़ाई में उत्पन्न होने वाले विरोधाभासों का हल ढूँढ़ना होगा।"

श्रीलंका में ईस्टर के खास मौके पर हुए क्रूर हमले, जिसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने ली है, ने एक बार फिर से आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के मुद्दे को हवा दे दी है। दुनिया भर के विद्वानों और अधिकारियों द्वारा सीरिया में आईएस के पूर्व 'खलीफा के अधिकार क्षेत्र' से हमलावरों के जुड़ाव का अध्ययन किया जा रहा है, जिनका मानना है कि कम से कम दो हमलावर यहाँ से आये थे और कई नेताओं ने अब वैश्विक आयामों पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है।

हालाँकि, श्रीलंका में हुआ हमला एक वैश्विक 'वॉर ऑन टेरर' अर्थात् आतंक के विरुद्ध लड़ाई की अवधारणा की कई कमियों को भी रेखांकित करता हैं और यह सवाल उठाता है कि 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका पर हुए हमले के बाद जब यह शब्द यानी वॉर ऑन टेरर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा दिया गया था, तब से लेकर अब तक इस समस्या से निपटने के लिए हमने क्या-क्या कदम उठाये है?

एक संघर्षपूर्ण युद्ध

सबसे पहले, 'वॉर ऑन टेरर' का नाम इसके संघर्षपूर्ण होने के कारण पड़ा था। यह लगभग 60 देशों का गठबंधन है, जिन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के लिए लॉजिस्टिक समर्थन की पेशकश की, लेकिन अफगानिस्तान में आतंकवाद को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाए, जो अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश को दमनकारी तालिबान शासन को वापस सौंपने की तैयारी कर रहा है, जिसे उसने दिसंबर, 2001 में हराया था।

अफगानिस्तान में युद्ध कई गठबंधनों में से एक था, जिसका नेतृत्व अमेरिका वॉर ऑन टेरर के नाम पर कर रहा था। 46 देश 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन को हराने के लिए अपनी इच्छा से गठबंधन में शामिल हुए और 2011 में लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से बेदखल करने के उद्देश्य से 19 देश एक और गठबंधन में शामिल हुए थे। 2011 में अमेरिका और संबद्ध देशों को 'अरब स्प्रिंग' द्वारा दर किनार कर दिया गया, जिसके चलते सीरिया में विरोधी बशर-अल-असद के गुटों को समर्थन प्राप्त हुआ। साथ ही इसके कारण आईएस के लिए सीरिया और इराक के क्षेत्रों में एक 'खलीफा के अधिकार क्षेत्र' का मार्ग प्रशस्त हुआ।

अगला गठबंधन आईएस के आतंक से लड़ने के लिए बनाया गया था। वैश्विक आतंकवादी हमलों की संख्या (1970 से 2018 तक की घटनाओं को मैरीलैंड विश्वविद्यालय द्वारा एक वैश्विक आतंकवाद डेटाबेस में रखा गया है) 2004 में प्रति वर्ष 1,000 से बढ़कर 2014 में 17,000 हो गई थी। क्षेत्रीय रूप से 'खलीफा के अधिकार क्षेत्र' की हार के बावजूद, आईएस या इसके फ्रैंचाइजी दुनिया के नए हिस्सों में दिखाई दे रहे हैं। उस सूची में श्रीलंका सबसे नवीनतम है।

दूसरा, पैन-इस्लामिक आतंकवादी समूहों से लड़ने में मद्द करने के बजाय, वॉर ऑन टेरर आईएस और अल-कायदा को अधिक मदद करता प्रतीत होता है, जो उन्हें उनकी वास्तविक क्षमताओं से कहीं अधिक बड़ा बना देता है। यह उन्हें भर्ती करने और दुनिया भर के मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में मद्द करता है जैसा कि आईएस नेता अबू बक्र अल-बगदादी ने ईस्टर पर हुए हमलों के तुरंत बाद पोस्ट किए गए एक वीडियो में किया था।

इस्लाम के लिए लड़ाई नहीं

तीसरा, इनके अनुसार ये लड़ाई 'इस्लाम के लिए' करते हैं जो बिल्कुल आधारहीन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के अनुसार, 2001 के बाद से हुए 81 आतंकी हमलों में, जिनमें 100 से अधिक मारे गए थे, 70 से अधिक इस्लामिक या मुस्लिम-बहुल देशों में किए गए थे। 2001 के बाद से धार्मिक संस्थानों पर उच्च आकस्मिक आतंकवादी हमलों की एक विशिष्ट जाँच के अनुसार, शीर्ष 20 में से 18 हमले मस्जिदों पर इस्लामी समूहों द्वारा किए गए थे।

वॉर ऑन टेरर इस तरह से एक अवधारणा है, जो ज्यादातर पैन-इस्लामिक समूहों द्वारा फैलाया गया है और यह ज्यादातर आतंकवादी हमलों के लिए एक मकसद के रूप में अन्य धर्मों के चरमपंथियों द्वारा प्रचारित किया जाता है, जैसे कि नॉर्वे में 2011 का यूटोया द्वीप हमला या इस साल न्यूजीलैंड का हमला।

उदाहरण के लिए, श्रीलंका में, नेशनल तौहीद जमात (NTJ) के सदस्य अपनी साजिश में इसलिए सफल हुए, क्योंकि श्रीलंका ने भारत द्वारा दिए गए खुफिया इनपुट्स को और लिट्टे की हार के बाद श्रीलंकाई अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया। परिणामस्वरूप, श्रीलंका के पूर्वी प्रांत में एक मस्जिद के उपदेशक के रूप में किए गए मास्टरमाइंड मोहम्मद जहरान हाशिम के संदेह वाले भाषणों के बारे में शिकायत के बावजूद, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी अन्य नेशनल तौहीद जमात बमवर्षकों पर कड़ी नजर रखने में नाकाम रहीं हैं।

आतंक से लड़ने के लिए दृष्टिकोण

चौथा, आतंकवाद से लड़ने वाले देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे अनुभव से सामान्यीकरण करने के बजाय अपने देश में व्याप्त अंतर से अधिक बारीकी से सीखें। ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों, जहाँ सैकड़ों अप्रवासी मुसलमानों ने आईएस को चुना है, की तुलना भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों से करना, जहाँ मुस्लिम आबादी स्वदेशी है और केवल कुछ दर्जन ने ही सीरिया का चुनाव किया है, सेब और संतरे की तुलना करने के समान है।

भारतीय अधिकारियों ने आईएस से वापसी करने वालों को उग्रवाद से अलग करने में अधिक सफलता पाने का दावा किया है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रयासों में पूरे परिवार, पड़ोस और स्थानीय मौलवियों को शामिल किया है। बांग्लादेश में भी, होली आर्टिसन बेकरी पर 2016 के हमले के बाद, सरकारी विज्ञापनों ने माताओं को अपने बच्चों की गतिविधियों की जाँच करने के लिए कहा था। यह मानना कि कट्टरपंथी आतंकवादी किसी एक समुदाय का हिस्सा हैं, कई यूरोपीय देशों में मौजूदा बहस के विपरीत है जो आईएस से वापस आने वाले और उनके परिवारों को फिर से अपनाने से इनकार कर रहे हैं।

इसी तरह, कई मध्य एशियाई देशों ने उग्रवाद से निपटने के लिए अधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाते हुए दाढ़ी और हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही शिनजियांग में चीन के पुनः शिक्षा इंटर्नमेंट शिविरों ने मानव अधिकारों के बारे में सवाल उठाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक दृष्टिकोण की सफलता या विफलता का अध्ययन करने के बाद ही उपयोग करना बेहतर साबित होगा।

पाँचवां, विश्व समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में विरोधाभासों को संबोधित करना चाहिए। 20 वर्षों से, दुनिया संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की एक आम परिभाषा पर सहमत होने में विफल रही है। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारतीय प्रायोजित प्रस्ताव पारित नहीं करना भी शामिल है। इस तथ्य के बावजूद कि जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर वर्षों से भारतीयों को लगातार निशाना बना रहा है।

इनसे पूछा जाना चाहिए कि अमेरिका ईरान पर 'आतंकवाद का दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोजक देश' घोषित करना चाहता है, जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों ने इस्लामिक आतंकवादी समूहों को वित्त पोषित और आश्रय दिया है, जिन्हें अभी भी आतंक पर 'अग्रिम पंक्ति' के रूप में माना जाता है और क्यों अपने सभी संसाधनों और विशेषज्ञता के बावजूद, वैश्विक खुफिया जानकारी साझा करने वाले अमेरिका, यू.के., कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, श्रीलंका में आसन्न खतरे को देखने में असमर्थ रहे। जब तक दुनिया वास्तव में इस मुद्दे पर एकजुट नहीं होती है और इस तरह के विरोधाभासों को हल नहीं करती है, तब तक आतंक पर वैश्विक युद्ध सबसे कमजोर कड़ी के रूप में ही रहेगा।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय (CCIT)

क्या है?

- यह मसौदा वर्ष 1996 में भारत द्वारा तैयार किया गया था, जो आतंकवाद के खिलाफ व्यापक एवं एकीकृत कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- CCIT एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, जो हस्ताक्षरकर्त्ता देशों पर यह बाध्यता आरोपित करता है कि वे आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता अथवा शरण प्रदान नहीं करेंगे।
- इसमें प्रावधान है कि आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा हो, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य देश अपने आपराधिक कानून में शामिल करेंगे।

उद्देश्य

- आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा के लिये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली (UNGA) के सभी 193 सदस्य देश इस आपराधिक कानून को अपनाएंगे।
- सभी आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाना और आतंकवादी शिविरों को बंद करना।
- विशेष कानूनों के तहत सभी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाना।
- वैश्विक स्तर पर सीमापार आतंकवाद को प्रत्यर्पण योग्य अपराध घोषित करना।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967

क्या है?

- यह कानून भारत में गैरकानूनी कार्य करने वाले संगठनों की कारगर रोकथाम के लिए बनाया गया था।
- इसका मुख्य उद्देश्य देश विरोधी गतिविधियों के लिए कानूनी शक्ति का प्रयोग करना है।
- इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई राष्ट्रद्रोही आन्दोलन का समर्थन करता है अथवा किसी विदेशी देश द्वारा किये गये भारत के क्षेत्र पर दावे का समर्थन करता है, तो वह अपराध माना जाएगा।
- यह 1967 में पारित हुआ था।बाद में यह पहले 2008 में और फिर 2012 में संशोधित हुआ था।

अधिनियम के कुछ विवादित प्रावधान-

- इसमें आतंकवाद की जो परिभाषा दी गई है, वह उतनी स्पष्ट नहीं है। इसलिए अहिंसक राजनैतिक गतिविधियाँ और राजनैतिक विरोध भी आतंकवाद की परिभाषा के अन्दर आ जाता है।
- यदि सरकार किसी संगठन को आतंकवादी बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगा देती है, तो ऐसे संगठन का सदस्य होना ही एक आपराधिक कृत्य हो जाता है।
- इस अधिनियम के अनुसार किसी को भी बिना आरोप-पत्र के 180 दिन बंदी बनाया जा सकता है और 30 दिनों की पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है।
- इसमें जमानत मिलने में कठिनाई होती है और अग्रिम जमानत का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
- इसमें मात्र साक्ष्य के बल पर किसी अपराध को आतंकवादी अपराध मान लिया जाता है।
- इस अधिनियम के अन्दर विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं, जिनको बंद कमरे में सुनवाई करने का अधिकार होता है और जो गुप्त गवाहों का उपयोग भी कर सकते हैं।

Committed To

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय (CCIT) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. यह मसौदा वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैयार किया गया था।
2. यह आतंकवाद के विरूद्ध व्यापक एवं एकीकृत कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
3. इसका उद्देश्य सभी आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाना और आतंकवादी शिविरों को बन्द करना है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

1. Consider the following statements about Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT).

1. This draft was prepared by United Nations in 1996.
2. It provides unified and comprehensive law structure against terrorism.
3. Its objective is to prohibit all terrorist groups and terrorist camps.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2
(b) 2 and 3
(c) 1 and 3
(d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः- हाल ही में श्रीलंका में हुआ हमला वैश्विक आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई की अवधारणा की कई कमियों को रेखांकित करता है। इन कमियों को दूर करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. The recent attack on Sri Lanka has identified many shortcomings of the idea of war on global terrorism. Which types of steps should be taken to remove these shortcomings? Discuss. (250Words)

नोट : 11 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।